राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(20)ग्रावि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/अपील/ 2016–17 जयपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2017

निदेशक,
ग्रामीण आवास प्रभाग,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सम्बंध में मार्ग–दर्शन प्राप्त करने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12 जून, 2017

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के सम्बंध में प्रासांगिक पत्र द्वारा SECC-2011 की सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने, वरीयता सूची में संशोधन एवं लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण स्थल परिवर्तन के क्रम में संशेधित जीओं टैग फोटों अपलोड कराने के क्रम में मार्गदर्शन चाहा गया था। उक्त के अतरिक्त जिलों से प्राप्त निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान कराने का श्रम करावेः–

1. विभिन्न जिलों में कुछ लाभार्थी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते है, जिनके आवासों तक आरसीसी निर्माण सामग्री एवं छत डालने हेतु मशीन आदि पहुचने में समस्या आ रही है। अतः ऐसे प्रकरणों में छत की सामग्री के रूप में स्टोन पट्टी/आरसीसी के स्थान पर स्टील टीनशेड, उपयोग में लेने की अनुमति बाबत मार्गदर्शन प्रदान कराने का श्रम करावें।
2. ऐसे लाभार्थी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र से स्थाई रूप से पलायन कर गये है अथवा एकल लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर आवास वरीयता सूची से नाम हटाने एवं स्वीकृति होने की दशा में निरस्त कराने बाबत प्रावधान करवाया जावें।

भवदीय,

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
4. P.D. (M&E), को website पर अपलोड हेतु

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि